an>

Title: Issue regarding railway insurance for railway passengers.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान ट्रेन हादसों के शिकार व्यक्तियों का रेलवे बीमा सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदया, गत दिनांक 20.11.2016 को कानपुर देहात के पुखरायन में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें लगभग डेढ़ सौ लोगों की जानें गयीं। ...(व्यवधान) इस तरीके से अक्सर रेल हादसें होते रहते हैं लेकिन लोगों को जानकारी न होने के कारण उन्हें जो सुविधाएं और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वह उनके परिवारों को नहीं मिलती है। ...(व्यवधान) जबकि ई-टिकट पर 92 पैसे लागू होने के बाद दस लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता का बीमा मिलता है। ...(व्यवधान)

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी प्रकार की टिकटों पर 92 पैसे लेकर दस लाख रुपये तक के बीमा को सुनिश्चित कराये जाने हेतु माननीय रेल मंत्री को आदेश देने की कृपा करें, जिससे हादसे में मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को इसका लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र,

शरद त्रिपाठी और

डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।